कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी देहरादून।

पत्रांकः न--3/सीएफओ(आ0भ0मा0)--D-PO-48-2020 दिनांकः मार्च 7, 2020

सेवा में

OM PALACE

श्रीमती दीप्ति रतूड़ी पत्नी श्री गजेन्द्र रतूड़ी
खसरा नं0 276, हाउस नं0--80 शास्त्री नगर ऋषिकेश
जनपद--देहरादून।

कृपया आपके द्वारा अग्निशमन एवं आपात सेवा, उत्तराखण्ड की वैबसाईट पर उपलब्ध कराये गये सूचिका नम्बर 32918643 दिनांक 15--02--2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा खसरा नं0 276, हाउस नं0--80 शास्त्री नगर ऋषिकेश, जनपद देहरादून में निर्मित भवन हेतु अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में प्रश्नगत निर्मित भवन का निरीक्षण प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी ऋषिकेश द्वारा अग्नि सुरक्षा एवं जीवरक्षा के दृष्टिकोण से करने के उपरान्त अपनी संस्तुति आख्या दिनांकित 24.02.2020 इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। प्रश्नगत भवन में निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान किया गया है:--

1. प्रश्नगत भवन तक अग्निशमन का वाहन आसानी से पहुंच सकता है।
2. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, प्रथम एवं द्वितीय तल में निर्मित है।
3. निरीक्षण की तिथि भवन मे 05 हजार लीटर क्षमता के ओवर हैड टैंक का प्राविधान किया गया है। पानी की सम्पूर्ति हेतु बोरिंग का प्राविधान किया गया है।
4. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में 02 अदद होजरील का प्राविधान किया गया है। होजरील को ओवर हैड टैंक से सम्बद्ध किया गया है।
5. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन मे 06 अदद ए0बी0सी0 (06 किग्रा0 क्षमता), 01 अदद सी0ओ0टू0 (4.5 किग्रा0 क्षमता) एवं 01 अदद फोम टाईप (09 लीटर क्षमता)फायर एक्सटिंग्यूशर स्थापित किये गये है।
6. प्रश्नगत प्रश्नगत भवन में कार्यरत कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा।
7. प्रबन्धक/स्वामी को निकास मार्गों एवं सैट बैक को सदैव अवरोध मुक्त रखने हेतु निर्देशित किया गया है।
8. भवन विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर अलग से अग्निशमन विभाग से अग्निशमन व्यवस्था का कार्यशीलता प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार खसरा नं0 276, हाउस नं0--80 शास्त्री नगर ऋषिकेश जनपद देहरादून में निर्मित भवन हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र (Pre-Operational) प्रदान किये जाने में अग्नि शमन विभाग को कोई आपत्ति नही है। बशर्ते भवन स्वामी/सोसाइटी/प्रबन्धक प्रश्नगत भवन में की गई अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सदैव उच्च स्तर पर बनाये रखेंगे साथ ही की अग्नि शमन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशो का पालन सुनिश्चत करेगें। भवन स्वामी/सोसाइटी/प्रबन्धक को उक्त भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष अग्निशमन एवं आपात सेवा, देहरादून से करवाकर उक्त व्यवस्था का कार्यशील होने का प्रमाण पत्र (Annual Clearance) अवश्य लेना होगा। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिये मान्य नहीं होगा। प्रश्नगत भवन मे स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के संचालन हेतु प्राथमिक अग्निशमन प्रशिक्षण प्राप्त सुरक्षा कर्मियों कों रखेगें ताकि किसी आकस्मिकता के समय त्वरित अग्निशमन कार्य किया जा सके। फायर स्टेशन का टेलीफोन नं0--101, 0135--2430101 पुलिस कन्ट्रोल रूम 100, 112 तथा एम्बूलेन्स का टेलीफोन नं0--108 अंकित करेगे। ऐसा न करने पर जारी प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(एन0 एस0 कुंवर)
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
देहरादून।